

किस्ती व्यवस्था की विशिष्टिया, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है।

नीति निर्धारण हेतु :

नीति निर्धारण हेतु उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् का गठन किया गया है, जिसमें राज्य सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों को पदेन सदस्य बनाया गया है तथा गैर सरकारी क्षेत्र से पर्यटन में विशेष योग्यता रखने वाले पांच सदस्यों को नामिति करने की व्यवस्था की गई है यही परिषद् समय-समय पर बैठक आहूत कर नीति का निर्धारण करती है जिसके अनुसार परिषद् अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उनका क्रियान्वयन किया जाता है। उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् का गठन निम्न प्रकार उत्तरांचल शासन द्वारा किया गया है:-

1-	मा0 मंत्री पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड	पदेन अध्यक्ष
2-	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	पदेन उपाध्यक्ष
3-	सचिव/प्रमुख सचिव पर्यटन उत्तराखण्ड शासन	पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी
4-	सचिव वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य
5-	सचिव वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य
6-	सचिव ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य
7-	सचिव लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य
8-	सचिव परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य
9-	सचिव नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन	पदेन सदस्य
10-	राज्य सरकार द्वारा नामित पर्यटन व्यवसाय/उद्योग में विशेषज्ञता रखने वाले 5 गैर सरकारी सदस्य	सदस्य
11-	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य सचिव

विभिन्न समितियों का गठन :

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् को विभिन्न क्षेत्रों में सुझाव एवं सहयोग देने के उद्देश्य से निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है:-

साहसिक एवं ईको टूरिज्म समिति

पता
श्री एस०पी० चमोली, डी०आई०जी० (सेवानिवृत्त), मधु कॉटेज, लाईब्रेरी रोड, मसूरी।
श्री अनूप शाह,होटन काटेज, अयार पोटा, नैनीताल।
डा० हरिदत्त भट्ट, शैल शिखर, मसूरी
श्री चन्द्र लाल शाह, ठूलगरिया, हाटन काटेज, अयार पाटा, नैनीताल
श्री युसुफ जहीर, हिमालयन रिवर रनर्स (इण्डिया) प्रा० लि०, न-8(एफएफ), ग्रीन पार्क मेन, नई दिल्ली-16 फोन 011-26852602, 26968169 फैक्स 011-26865604
श्री अविनाष कोहली, हंस फार्म, बिजवासन, नजफगढ रोड, नई दिल्ली
श्री सतीश पठानिया, ए-14 नीति बाग, नई दिल्ली।
श्री सुधीर शाही, 170-गुलमोहन इन्कलेव, नई दिल्ली-49 दूरभाष 26567615, 26524009 मोबाईल 98100-42602
श्री मनदीप सिंह सोन, जी-66, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली
कैप्टन स्वदेश कुमार, मैनेजिंग डायरेक्टर, शिखर ट्रेवल्स (आई) प्रा०लि०, 209-कम्पोनेन्ट हाउस, एफ-4, मिडिल सर्किल, कनाट पैलेस, नई दिल्ली
श्री के०पी० शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर, गढवाल एडवेंचर प्रा०लि०, 193-आराघर, देहरादून।
श्री नीलाम्बर बडोनी, डायरेक्टर ट्रेक हिमालया टुअर्स प्रा०लि०, दि अपर माल झूलाघर, मसूरी
श्री राजेश शाह, द्वारा इण्डिया होटल, माल रोड, नैनीताल
सुश्री चन्द्रप्रभा ऐतवाल, सेवानिवृत्त विशेष कार्याधिकारी, सा०प०, उत्तरकाशी
सुश्री बछेन्द्रीपाल, ग्रा०-नाकुरी, जिला-उत्तरकाशी
डा० वाई० एस० पाण्डे, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल
श्री राजीव भरतरी, कन्जरवेटर आफ फारेस्ट, उत्तरांचल, देहरादून।

श्री रोहित खट्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ओल्ड वर्ल्ड हास्पिटैलिटी प्रा०लि०, हैबिटेट वर्ल्ड इण्डिया हैबिटेट सैन्टर, कोर 4 बी, यूजी फ्लोर, लोधी रोड, नई दिल्ली।
श्री निधिशा शर्मा, डायरेक्टर गढवाल एडवेंचर प्रा०लि०, 193— आराघर देहरादून
श्री जोसे डोमिनिक, मैनेजिंग डायरेक्टर, कैसिनो होटल, विलिंगडन ईजलैण्ड, कोचिन-03
श्री सेजाल वोरा, पद्मिनी निवास, मसूरी।
श्री वाई०एस० पांगती, डी०एस०बी० पी०जी० कालेज, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल
श्री अजय रावत, डी०एस०बी० पी०जी० कालेज, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल
श्री ए०के० द्विवेदी, संयुक्त निदेशक पर्यटन, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।

### स्वस्थ योग ध्यान पर्यटन समिति

पता
श्री राजीव चंचानी, डायरेक्टर, योगा गंगा सैन्टर फार योगा, स्टडीज एंड श्रीमती स्वाति चंचानी, राजपुर रोड, देहरादून।
श्री गौतम खन्ना, 52—फ्रैन्ड्स कालोनी (ईस्ट), नई दिल्ली-65
श्री विद्या निधि डालमिया, पी०एच०डी० चैम्बर आफ कामर्स एंड इन्स्ट्री, पी०एच०डी० हाउस पीछे एशियन गेम्स विलेज, नई दिल्ली-16
श्री ए०के० द्विवेदी, संयुक्त निदेशक पर्यटन, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद, पटेलनगर, देहरादून

### संस्कृति, विरासत एवं वास्तुकला सम्बन्धी पर्यटन समिति

पता
श्री मदनचन्द्र भट्ट, 9 / 13, रमेशरजा टकाना, रोड, पिथौरागढ
श्री यशवन्त सिंह, नियर धर्मशाला, श्रीनगर मार्ग, पौडी।

श्री प्रवीण शर्मा, फेयरहावेन्स होटल, एडजेसैन्ट टू दि हैड पोस्ट आफिस, नैनीताल
डा० यशोधर मठपाल, लोक काला संस्कृति, संग्रहालय, भीमताल, नैनीताल
श्री मुकुल मांगलिक, रीडर इतिहास, रामजस कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-07
श्री मुक्ति दत्ता, सचिव जन जागरण समिति, स्नोविव, ईस्टेट, कसारदेवी रोड, अल्मोडा
श्री जनहविज शर्मा, आर्चिटेक्चरल हैरिटेज डिविजन, इन्टैक 71-लोधी रोड, नईदिल्ली
श्री राकेश माथुर, प्रेसीडेन्ट हैरिटेज, जी-7 द्वितीय फ्लोर, जे ब्लाक मार्केट, साकेत नईदिल्ली-27
श्री शंकरघर, संयुक्त महानिदेशक, पर्यटन मंत्रालय, ट्रांसपोर्ट भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-01
डा० रंजीत भागवत, कन्वेनर, इन्टैक, उत्तरांचल स्टेट, नवल किशोर इस्टेट, 75-हजरतगंज, लखनऊ
श्री महाराज गज सिंह, प्रेसीडेन्ट, हैरिटेज होटल्स एसोसियेशन, उमेद भवन, जोधपुर-06 (राजस्थान)
श्री सी०के० पाण्डे, प्रोफेसर शेखर पाठक, परिक्रमा 'पहाड' तल्ला अयार पोटा नैनीताल
श्री शिवचरण पाण्डे, श्री लायानेस भण्डार, खजांची मोहल्ला, अल्मोडा
श्री पवन जैन, पी०जैन एण्ड कं०, 5-बी रेस कोर्स, देहरादून
डा० ओ०पी० अग्रवाल, महानिदेशक, इण्डियन काउन्सिल आफ कन्जरवेशन इन्स्ट्रीज, एचआइजी-44 सैक्टर ई, अलीगंज स्कीम, लखनऊ
श्री शिवन गांजू, ए-10 ग्रेटर कैलाश-प्रथम, नई दिल्ली-48
प्रो० ए०जी०के० मैनन, एन-84, पंचशील पार्क, नई दिल्ली
श्री राजेन्द्र कुमार, राजेन्द्र कुमार एसोसियेट्स, बी-6/17, शॉपिंग काम्पलैक्स सैन्टर, सफदरजंग इन्कलेव, नई दिल्ली

श्री शिराज हसन एण्ड रेनू हसन, आर्चिटेक्ट एण्ड इन्टीरियर डिजाईनर्स, एपीटी 7 ब्लॉक-ए, बन्जारा गार्डन अपार्टमेंट्स रोड-12, बन्जारा हिल्स, हैदराबाद 34
श्री टी0एस0 असवाल, 12/2 लक्ष्मी रोड, देहरादून
श्री एम0एस0 शर्मा, नियर दून विव होटल, देहरादून
श्री ए0के0 द्विवेदी, संयुक्त निदेशक पर्यटन, उत्तरांचल पर्यटन विकास परिषद, देहरादून/सदस्य सचिव।

### तीर्थाटन पर्यटन समिति

पता
श्री सतीश दिक्षित, 145 मन्दाकिनी इन्कलेव, अलकनन्दा, नई दिल्ली-19
श्री हरिदत्त भट्ट, शैल शिखर, नीव सरकूलर रोड, मसूरी
श्री अनिल कालसी, मैनेजिंग डायरेक्टर, अम्बे वर्ल्ड ट्रेवल्स, बी-4 एण्ड बी-7, ओरियन्टल हाउस, गुलमोहर इन्कलेव कार्मशियल काम्प्लैक्स, नई दिल्ली।
श्री विपिन चावला, जनरल मैनेजर, सागर गंगा रिजोर्ट, हरिद्वार द्वारा बी-7/105 ए-3 फ्लोर, सफदरजंग इन्कलेव एक्टैन्शन नई दिल्ली।
श्री जी0 नौटियाल, प्रो0 हिमालयन होलीडेज मिडियो आरकेडे, 28-राजपुर रोड, देहरादून।
श्री एस0पी0 घिल्डियाल, 3/6 रेस कोर्स देहरादून।
श्री मुकुन्द प्रसाद, दि क्लारीजिज नैनी रिटरेट अयारपट्टा स्लोप्स, मल्लीताल, नैनीताल।
डा0 नारायण दत्त, ए-50, पाकेट-1, मयूर विहार, फेज-1, दिल्ली-01
श्री ए0के0 द्विवेदी, संयुक्त निदेशक पर्यटन, उ0 पर्यटन विकास परिषद, देहरादून।

नोट- उपरोक्त समितियों का उद्देश्य समितियों से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद को परामर्श देना है।

नीतियों, दायित्वों/कृत्यों का विवरण जो उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद निर्धारित करती है।

- 1- उत्तराखण्ड में पर्यटन के विकास हेतु नीतियां/रणनीतियां तैयार करना।
- 2- पर्यटन सम्बन्धी आधार भूत सुविधाओं को राज्य में विकसित एवं सुदृढ करने, जिसमें पर्यटन विकास क्षेत्र का गठन सम्मिलित है, हेतु दिशा निर्देश एवं योजना तैयार करना।

- 3- पर्यटन की विभिन्न गतिविधियों का चिन्हिकरण, परियोजनाओं का विकास एवं उनका समयवद्ध रूप से लागू करने के सम्बन्ध में योजनायें तैयार करना।
- 4- पर्यटन गतिविधियों हेतु विभिन्न नियम/मानक व नीतिगत दिशा निर्देश निर्धारित करना।
- 5- पर्यटन क्षेत्र में नीजि क्षेत्र की भागीदारी एवं निवेश को बढ़ावा देने हेतु योजना तैयार करना।
- 6- परिषद् द्वारा उत्तराखण्ड में आने वाले पर्यटकों हेतु सुविधाओं का सृजन तथा सुधार करना एवं उत्तराखण्ड को वैश्विक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास करना।
- 7- पर्यटन सम्बन्धी विभिन्न व्यवसायों एवं गतिविधियों हेतु नियामक एवं अनुज्ञा प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।
- 8- उत्तराखण्ड में पर्यटकों को आकर्षित तथा उत्तराखण्ड एवं उसके बाहर पर्यटन सम्बन्धी परियोजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु परिषद् द्वारा देश एवं विदेश में इसके प्रचार-प्रसार हेतु प्रयास करना।
- 9- परिषद् द्वारा पृथक-पृथक समितियों का गठन किया जाना जिसमें विषय विशेषज्ञ होंगे, जो उपलब्ध संसाधनों का आकलन, विकास योजनाओं को तैयार करेंगे और पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों हेतु गुणवत्ता, सुरक्षा एवं अन्य मानकों का निर्धारण भी करेंगे। ऐसी समितियों के गठन हेतु परिषद् द्वारा शर्तों का निर्धारण किया जायेगा।
- 10- परिषद् पर्यटन परियोजनाओं नियोजन, कार्यान्वयन एवं परीक्षण विशेषज्ञों एवं कन्सल्टेस परामर्शदाताओं, एजेन्सियों की सेवायें प्राप्त कर सकती है।
- 11- उत्तराखण्ड के समस्त धार्मिक पर्यटन स्थलों यथा श्री बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी के उच्च स्तरीय संचालन हेतु परिषद् मार्ग निर्देश गठित करेगी तथा नीति विषयक मामलों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करेगी।
- 12- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी अन्य पर्यटन गतिविधि को संचालित करना।

नीति के कार्यान्वयन हेतु :

- 1- उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् अधिनियम-2001 के अन्तर्गत परिषद् में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत एक नियामक एवं अनुज्ञा प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है।
- 2- ऐसी गतिविधियां जो कि परिषद् के कार्य को सम्पादित करने में लाभकारी, आवश्यक अथवा सुगम हो का प्रयोग किया जायेगा। परिषद् द्वारा विशेष रूप से निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग भी किया जा सकता है:-

- (1) पर्यटन सम्बन्धी व्यवसाय हेतु नियमों एवं मानकों का गठन एवं पालन करना।
- (2) पर्यटन से सम्बन्धित व्यवसायों तथा संस्थाओं का पंजीकरण, अनुज्ञा पत्र, मान्यता प्रमाण पत्र जारी करना और उनसे इस प्रकार के कार्य की अनुज्ञा हेतु जो शुल्क इत्यादि लिये जाय उनके लिये शर्तें तैयार करना।
- (3) कोई भी चल या अचल सम्पत्ति जो परिषद् की हो उसको परिषद् उपयुक्तता के आधार क्रय करना, रोकना, बंधक रखना, किसी के नाम हस्तान्तरित करना, प्रयोग हेतु अधिकृत करना, अभिलेख जमा करना, मृत्यु उपरांत स्वामित्व नांमाकन करना, निस्तारण करना इत्यादि परिषद् के हित में कर सकती है।
- (4) नियम के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परिषद् किसी के साथ अनुबन्ध अथवा समझौता कर सकती है।
- (5) परिषद् किसी भी सेवा के बदले शुल्क अथवा भुगतान जो परिषद् तय करेगी को प्राप्त कर सकती है।
- (6) परिषद् अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग जो उसको प्रदत्त है एवं जो नियमतः परिषद् हित में है या जो शासन द्वारा परिषद् को प्रदान किये गये हैं उन समस्त शक्तियों का प्रयोग कर अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी।

7- परिषद् के चिन्ह का निर्धारण करना।

नोट:-1:- परिषद् का समस्त कार्य इस अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जायेगा।